(1)

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०–2224 दिनांक 25.11.2025 के द्वारा बिहार राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने हेतु बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके मुख्य उद्देश्यों में एक यह भी है कि AI प्रक्षेत्र के अग्रणी उद्योगों/संस्थानों की सहभागिता प्राप्त करने हेतु इनका चयन करना तथा राज्य में ए०आई० पारिस्थितिकी का निर्माण करना है।

उक्त उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र, कौशल विकास एवं नवाचार को सुदृढ़ करने हेतु ग्लोबल फाइनेंस एण्ड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN), सिंगापुर को नामांकन के आधार पर चयन किया गया है।

2. मेसर्स ग्लोबल फाइनेंस एण्ड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN), के चयन से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्त्ति होगी :–

- GFTN, NUS-AIDF (नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर – एशियन इंस्टीच्यूट ऑफ डिजिटल फाइनेंस) तथा लाइनक्स फाउंडेशन के सहयोग से 5 माह का उन्नत AI सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित किया जाएगा।
- 5 वर्षों में 7,000 विद्यार्थियों (STEM/गैर–STEM, स्नातक/स्नातकोत्तर) को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- मेसर्स ग्लोबल फाइनेंस एण्ड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) के माध्यम से AI एवं Quantum-enabled डिजिटल Sandbox प्लेटफॉर्म (Aryabhata Technology Observatory) का सृजन किया जाएगा, जिससे 100 से अधिक Startups लाभान्वित होंगें। बिहार की विशिष्ट चुनौतियों के समाधान हेतु स्टार्टअप्स उद्यमियों, छात्रों, रिसर्चर एवं सरकारी अधिकारियों को AI/ML APIs, Data Pipelines, LLM Gateway तथा Cloud IDE प्रदान करेगा।
- GFTN के 12 वैश्विक मंचों (Singapore FinTech Festival, Point Zero Forum Zurich, Black Swan Summit, Bangkok Digital Finance Forum, GFTN Forum Japan आदि) के माध्यम से बिहार को वैश्विक निवेशकों, तकनीकी कंपनियों एवं नीति–निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

(2)

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। प्रेस नोट ।।

16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 एवं अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) का गठन किया जायेगा। उक्त कोष में कर्णांकित राशि का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं एवं विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं के संबंध में, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुरूप तत्कालिक प्रकृति की कार्रवाई एवं राहत (Response and Relief) तथा पुनरूद्धार एवं पुनर्निर्माण (Recovery and Reconstruction) गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार क्षतिग्रस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक अवसंरचना के पुनरूद्धार एवं पुनर्निर्माण (तत्काल प्रकृति के अलावा) के लिए भी उक्त कोष का उपयोग किया जाएगा।

राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में केन्द्र और राज्य सरकार का अंशदान 75:25 के अनुपात में रहेगा। उक्त कोष का संचालन एवं प्रशासन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) (2) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाएगा। उक्त कार्यकारिणी समिति को सचिवीय सहायता आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा प्रदान की जाएगी।

28/10/26

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

(3)

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। <u>प्रेस नोट</u> ।।

16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 एवं अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा प्रशमन कोष (SDMF) का गठन किया जायेगा। उक्त कोष में कर्णांकित राशि का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं एवं विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disasters) के जोखिम, प्रभाव या उसके परिणामों को कम करने वाली परियोजनाओं के लिए किया जायेगा।

राज्य आपदा प्रशमन कोष में केन्द्र और राज्य सरकार का अंशदान 75:25 के अनुपात में रहेगा। उक्त कोष का संचालन एवं प्रशासन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) (2) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाएगा। उक्त कार्यकारिणी समिति को सचिवीय सहायता आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा प्रदान की जाएगी।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

(4)

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

प्रेस नोट

उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं में नवाचार, उद्यमिता एवं स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने तथा उनके नवाचारी विचारों को व्यवहारिक उद्यम में विकसित करने हेतु "बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज (Startup Challenge) योजना" प्रारंभ करने, अधिकतम 2,100 छात्राओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष से लाभान्वित करने, योजना को चार वित्तीय वर्ष (2026–27 से 2029–30) तक लागू करने तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 88.20 करोड़ (अट्ठासी करोड़ बीस लाख मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

29/10/25

(राजीव रौशन)
सचिव

5

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संचिका संख्या– ग्रा.वि.–10/बजट–09/2026

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026–27 में ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 42 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश मद में 450.1554 करोड़ (चार सौ पचास करोड़ पंद्रह लाख चौवन हजार) रूपये एवं राज्यांश मद में 949.4474 करोड़ (नौ सौ उनचास करोड़ चौवालीस लाख चौहत्तर हजार) रूपये अर्थात कुल 1399.6028 करोड़ (तेरह सौ निन्यानवे करोड़ साठ लाख अठाईस हजार) रूपये मात्र की राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

इस राशि की स्वीकृति से योजना अंतर्गत चयनित आवासहीन ग्रामीण परिवारों को अपना पक्का मकान बनाने के लिए समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी ।

(एच. आर. श्रीनिवास)
अपर मुख्य सचिव

6

बिहार सरकार
गृह विभाग (कारा)।

प्रेस नोट

राज्य की 59 काराओं में प्रिजन कॉलिंग सॉल्युशन (Prison Calling Solution) अंतर्गत 05 वर्षों के लिए OPEX मॉडल पर 159 कियोस्क का अधिष्ठापन एवं संचालन ₹8,85,20,107 (आठ करोड़ पचासी लाख बीस हजार एक सौ सात रूपये) मात्र की लागत पर नामांकन (Nomination) के आधार पर भारत संचार निगम लिमिटेड, बिहार परिमंडल (BSNL, Bihar Circle) के माध्यम से कराये जाने संबंधी स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव,
गृह विभाग।

(२)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

सात निश्चय--3 के निश्चय कृषि में प्रगति–प्रदेश की समृद्धि के तहत उदेरास्थान सिंचाई परियोजना के महमुदा शाखा नहर का पुनर्स्थापन, महमुदा मुख्य नहर का विस्तारीकरण तथा भारथु शाखा नहर में एक अदद् फॉल का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि ₹ 5359.06871 लाख (तिरपन करोड़ उनसठ लाख छः हजार आठ सौ इकहतर रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

वर्तमान में जलवार नदी में गाद एवं पानी के समस्या के कारण निश्चलगंज वीयर सिंचाई योजना की सिंचाई क्षमता प्रभावित हो रही है।

उदेरास्थान बराज से निःसृत महमुदा मुख्य नहर (3.75 कि०मी०) के 2.00 कि०मी० में विस्तारीकरण कर जलश्राव को बढ़ाते हुए फल्गु नदी से जलवार नदी को जोड़ने का कार्य किया जाना है। जलवार नदी के 0.00 कि०मी० से 16.80 कि०मी० की लम्बाई में गाद निकासी तथा आवश्यक संरचनाओं का निर्माण कर निश्चलगंज वीयर सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। साथ ही जलवार नदी के 16.80 कि०मी० के अंतर्गत स्थित पईनों एवं आहरों द्वारा सिंचाई सुविधा का सृजन भी किया जा सकेगा।

उदेरास्थान बराज जाने के लिए पहुँच पथ उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बरसात के दिनों में आवागमन बाधित हो जाता है। उदेरास्थन बराज के दायें मुख्य सड़क से 1200 मी0 में पहुँच पथ का पुनर्स्थापन/मरम्मति कराया जाना आवश्यक है। साथ ही भारथु शाखा नहर के चैनेज 15.50 कि०मी० पर 01 अदद फॉल का निर्माण तथा महमूदा शाखा नहर के क्रमशः चैनेज 780 मी० से चैनेज 980 मी०, चैनेज 3210 मी० से चैनेज 3960 मी० एवं चैनेज 5004 मी० से चैनेज 5790 मी० के बीच बायें बाँध का मजबूतीकरण कार्य किया जाना है।

योजना को 18 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

इस योजना के कार्यान्वयन से 6410 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा का सृजन तथा 200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा पुनर्स्थापित हो सकेगी, जिससे जहानाबाद, गया एवं नालन्दा जिला के हुलासगंज, खिज़रसराय, इस्लामपुर, वेन एवं परवलपुर प्रखंड के कृषक लाभांवित होंगे। सार्थ ही जलवार नदी में जलश्राव उपलब्ध होने से इस क्षेत्र के भूगर्भ जलस्तर में भी वृद्धि होगी।

(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव

8

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

राज्य सरकार द्वारा ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग तथा कम्प्लायंस रिडक्शन एण्ड डिरेगुलेशन की भावना के अनुरूप बिहार भवन उपविधि, 2026 की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिससे भवन निर्माण अनुमति प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं नागरिक अनुकूल होगी।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

(9)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट।।

विषयः– हाजीपुर बस स्टैण्ड निर्माण हेतु मौजा–सेंदुआरी वासदेव उर्फ चपता, थाना नम्बर–89, थाना–हाजीपुर अन्तर्गत हाजीपुर महुआ मुख्य मार्ग के किनारे चिह्नित भूमि 9 एकड़ 73 डिसमिल के अधिग्रहण/क्रय/सतत लीज पर लेने और इसपर होने वाले अनुमानित व्यय की राशि ₹44,52,44,800/– रूपये (चवालीस करोड़ बावन लाख चवालीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

10

।। प्रेस नोट।।

नगर निकाय के नियमित कर्मी कई वर्षो तक एक ही पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनको किसी भी प्रकार के प्रोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त नहीं होता है। राज्य के निकाय कर्मियों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर लगातार की गई मांग के आलोक में नगर निकाय के नियमित कर्मियों को प्रोन्नति के प्रावधान के अभाव में रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) का लाभ दिया जाना न्यायपरक है, जिससे ऐसे कर्मियों को वित्तीय उन्नयन का लाभ मिल सके, जिसके फलस्वरूप निकाय कर्मी संबंधित पद के प्रति पूरी निष्ठा, लगन, पूर्ण दक्षता एवं पूर्ण मनोयोग से अपने कर्त्तव्य एवं दायित्व का समुचित निर्वहन कर सके। इस उद्देश्य से राज्य के नगर निकाय के नियमित कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) का लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(11)

प्रेस विज्ञप्ति

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के द्वारा पूर्व में अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 को निरस्त कर दिया गया है । उल्लेखनीय है कि वर्त्तमान में प्रभावी बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2013, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के प्रावधानों पर आधारित है, अब प्रासंगिक नहीं है। अतः केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 एवं अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2022 के आधार पर 'बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026' को अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।

बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 का अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् ही बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2013 एवं नावों से संबंधित आदर्श नियमावली, 2011 को निरस्त समझा जाय।

इस नियमावली का उद्देश्य राज्य के अंतर्देशीय जलक्षेत्र में जलयानों के सुरक्षित संचालन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 में शुल्क एवं नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने की रकम राज्य सरकार द्वारा राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से पुनरीक्षित की जा रही है।

सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

(12)

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थायी स्थापना के तहत सृजित शैक्षणिक पद असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन स्तर को संशोधित करते हुए वेतन स्तर–10 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव

13

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

स्थानिक आयुक्त (Resident Commissioner), नई दिल्ली के कार्यालय में सम्पर्क कार्यालय खोलने एवं उक्त कार्यालय हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत पूर्व से सृजित 01 सहायक वन संरक्षक, 01 वनपाल एवं 02 वनरक्षियों कुल 04 (चार) पदों को उक्त कार्यालय हेतु कर्णांकित करने का निर्णय लिया गया।

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव

(15)

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

ईको–टूरिज्म एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत पूर्व में राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत 11 (ग्यारह) योजनाओं को जन–निजी भागीदारी (Public-Private Partnership (PPP) Mode) के अन्तर्गत संचालित कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव

15

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि अन्तर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त ₹71.92 करोड़ (एकहत्तर करोड़ बानवे लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति के अधीन रहते हुए स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹71.92 करोड़ (एकहत्तर करोड़ बानवे लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

(आनन्द किशोर)
अपर मुख्य सचिव

16

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

Karamchat/Durgawati Dam Water Sports and Adventure Park, Kaimur Rohtas/Ghora Katora Adventure Park, Rajgir Nalanda एवं Mundeshwari Adventure Park, Kaimur में ईको टूरिज्म के समग्र विकास हेतु तैयार किये गये तीन प्रस्तावों को जन–निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(आनन्द किशोर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

(17)

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

"नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बासोपट्टी, मधुबनी की स्थापना कर वित्तीय वर्ष 2027–28 से 06 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने एवं रूपये 246.16 लाख (रूपये दो करोड़ छियालीस लाख सोलह हजार मात्र) प्रति वर्ष राशि व्यय की स्वीकृति दी गई है।

सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

19

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेस नोट

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत भू–अर्जन निदेशालय, जिला भू अर्जन कार्यालयों एवं भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार कार्यालयों के पुनर्गठन हेतु भू–अर्जन निदेशालय अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल–438 स्थायी पदों का प्रत्यर्पण एवं कुल–342 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

हस्ताक्षरः–
नामः– (जय सिंह)
पदनामः– सचिव।

20

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संचिका संख्या–01/स्था०(ले०से०)–08/2022

प्रेस नोट

वित्त विभाग के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश झा (संविदा पर कार्यरत), बजट सलाहकार द्वारा धारित **'बजट सलाहकार'** के पद एवं उनकी **संविदा अवधि** 02 (दो) वर्षों के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है।

(विनय कुमार)
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

21

प्रेस नोट

वित्त विभाग

सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2026 के प्रभाव से 60% के स्थान पर 63% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)।

(22)

प्रेस नोट

वित्त विभाग

पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2026 के प्रभाव से 483% के स्थान पर 497% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)
वित्त विभाग, बिहार, पटना

23

प्रेस नोट

वित्त विभाग

षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक– 01.07.2026 के प्रभाव से 262% के स्थान पर 269% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)
वित्त विभाग, बिहार, पटना

(24)

विभाग का नामः- **वित्त विभाग, बिहार, पटना ।**

प्रेस नोट

निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त वाहनों के लंबित दायित्व सहित अन्य आवश्यक भुगतान हेतु संबंधित विभागों की मांग के अंतर्गत समेकित रूप से ₹2247,53,82,000/- (दो हजार दो सौ सैंतालीस करोड़ तिरेपन लाख बयासी हजार रुपये) बिहार आकस्मिकता निधि से उपबंधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी । अपेक्षित राशि का बजटीय उपबंध किये जाने के फलस्वरूप निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त वाहनों के लंबित दायित्व सहित अन्य आवश्यक बकाया का भुगतान संबंधित विभाग के द्वारा किया जा सकेगा ।

(विनय कुमार)
प्रधान सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

25

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष मिश्रक के मूल कोटि के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति एवं संवर्ग के अन्य पद सोपान पर नियमित प्रोन्नति हेतु बिहार आयुष मिश्रक (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी) संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2026 की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3.11.26

(शम्भू शरण)
सरकार के अपर सचिव

26

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग के मूल कोटि (औषधि निरीक्षक) के पद पर नियुक्ति हेतु फार्मेसी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा–3 के तहत् भारतीय भेषज परिषद् की अनुशंसा पर फार्म डी० (डॉक्टर ऑफ फार्मेसी) शैक्षणिक योग्यताधारी को शामिल किये जाने हेतु केन्द्र सरकार के निर्णय के आलोक में पूर्व से गठित बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग नियमावली, 2014 (अनुलग्नक–01) के नियम–5(1) का प्रतिस्थापन, बिहार सरकारी सेवक परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 के आलोक में आयोग के अनुशंसा पर नियुक्त औषधि निरीक्षकों का परिवीक्षा अवधि दो (02) वर्ष के स्थान पर एक (01) वर्ष किये जाने हेतु उक्त नियमावली के नियम–7 का प्रतिस्थापन, राजभाषा आयोग (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) बिहार, पटना के ज्ञापांक –719/रा०, दिनांक–15.06.1993 के आलोक में नियुक्ति के अगले एक वर्ष तक हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा का आयोजन नहीं होने की स्थिति में हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा हुए बिना नवनियुक्त औषधि निरीक्षकों को प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने हेतु उक्त नियमावली के नियम–9(2) का प्रतिस्थापन तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–22251, दिनांक–12.12.2022 के आलोक में नवनियुक्त औषधि निरीक्षकों को विभागीय परीक्षा के अलावे अलग से कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा की आवश्यकता नहीं होने का प्रावधान के आलोक में उक्त नियमावली के नियम–9(3) को विलोपित करते हुए " बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। नियमावली में संशोधन के फलस्वरूप बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग नियमावली, 2014 एवं बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 के अंतर्गत मूल कोटि (औषधि निरीक्षक) के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई हो सकेगी।

3/11/26

(कुमार रवि)
सरकार के सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

1240(15A)
03/11/2026

27

प्रेस नोट

मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण कार्य, जिसकी पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 25457.38 लाख (रू0 दो सौ चौवन करोड़ संतावन लाख अड़तीस हजार मात्र) है, के तहत् खनुआ सोता (पईन), डुमना सोता (पईन), गायघाट सोता (पईन), लंगड़ी पईन के प्रवेश बिन्दु पर एण्टी फ्लड स्लूईस एवं हरोहर नदी में बालगूदर के निकट एण्टी फ्लड स्लूईस–सह–रेगूलेटर का निर्माण प्रस्तावित है।

खनुआ सोता (पईन), डुमना सोता (पईन), गायघाट सोता (पईन), लंगड़ी पईन के प्रवेश बिन्दु पर प्रस्तावित एण्टी फ्लड स्लूईस निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा हरोहर नदी में बालगूदर के निकट एण्टी फ्लड स्लूईस–सह–रेगूलेटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

इस योजना के कार्यान्वयन से टाल क्षेत्र से जल के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी । जिससे टाल क्षेत्र में फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिल सकेगी।

इस प्रकार यह योजना काफी लाभप्रद एवं जनोपयोगी है।

(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव,
जल संसाधन विभाग,
पटना

28

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

<u>प्रेस नोट</u>

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के साथ एम०ओ०यू० के माध्यम से गंगा नदी का चौसा से मनिहारी तक फ्लड प्लेन जोन डिलिनिएशन अध्ययन तथा स्टेट वाटर रिफॉर्म्स फ्रेमवर्क (एस.डब्ल्यू.आरएफ) के अंतर्गत बिहार स्टेट वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (बी–एस.डब्ल्यू.आई.सी) की स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु परामर्शी सेवाएँ प्राप्त की जायेगी। योजना की कुल प्राक्कलित राशि ₹ 9,82,48,242.00 (नौ करोड़ बयासी लाख अड़तालीस हजार दो सौ बयालीस रुपये) मात्र है।

इस योजना के क्रियान्वयन से बिहार राज्य में जल क्षेत्र से संबंधित नीतियों, संस्थागत व्यवस्थाओं, आधारभूत संरचनाओं, डिजिटलीकरण एवं सामुदायिक सहभागिता की स्थिति का समग्र आकलन किया जा सकेगा। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 75 संकेतकों के क्रियान्वयन एवं सत्यापन तथा बी–एस–डब्ल्यू–आई–सी की स्थापना के माध्यम से जल संसाधनों से संबंधित आंकड़ों का एकीकृत एवं व्यवस्थित संधारण सुनिश्चित होगा। साथ ही, स्टेट वाटर रिफॉर्म्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत राज्यों की उपलब्धियों के आधार पर रैंकिंग एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, इस योजना के माध्यम से बिहार में बक्सर से मनिहारी तक गंगा नदी के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का वैज्ञानिक निर्धारण किया जा सकेगा, जिससे बदलती पर्यावरणीय एवं सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सतत एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करने तथा जन–जीवन एवं संपत्ति की क्षति को न्यूनतम करने में सहायता मिलेगी।

इस प्रकार उक्त योजना बिहार राज्य में जल संसाधनों के प्रभावी, समन्वित एवं सूचनापरक प्रबंधन की दिशा में उपयोगी सिद्ध होगी।

(चंद्रशेखर सिंह)
सचिव
जल संसाधन विभाग

29

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है। 31 मार्च 2025 तक वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं अन्तर्गत राज्य की कुल सृजित सिंचाई क्षमता 38.13 लाख हे0 के विरूद्ध 28.92 लाख हे0 की सिंचाई उपलब्धि प्राप्त हो पा रही है।

वर्तमान में सिंचाई योजनाओं के अनुरक्षण हेतु कोई व्यापक नीति नहीं होने के कारण सिंचाई संसाधनों का समुचित संपोषण /अनुरक्षण नहीं हो पाता है, फलस्वरूप उनके सिंचाई क्षमता में क्रमिक ह्रास हो रहा है।

उन्नत खेती एवं कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिये हेतु राज्य अंतर्गत सुदृढ़ एवं सतत् सिंचाई व्यवस्था आवश्यक है। राज्य अंतर्गत सृजित सिंचाई क्षमता के महत्तम उपयोग के लिए नहर प्रणालियों के समुचित अनुरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये एक व्यापक नहर अनुरक्षण नीति "बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026" के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस नीति के प्रवृत होने से राज्य की सिंचाई क्षमता एवं कृषि उत्पादकता बढेगी, जिसके फलस्वरूप किसानों के आय में वृद्धि होगी।

(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव
जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

30

बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

प्रेस नोट

उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु "मुख्यमंत्री बालिका पीएच.डी. फेलोशिप योजना" प्रारंभ करने, योजना को चार वित्तीय वर्ष (2026–27 से 2029–30) तक लागू करने तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹126.00 करोड (एक सौ छब्बीस करोड रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

"मुख्यमंत्री बालिका पीएच.डी. फेलोशिप योजना" प्रारंभ करने से महिलाओं को उच्चत्तर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हो सकेगी एवं महिला विद्यार्थियों को उच्चत्तर शिक्षा का लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

(राजीव रौशन)
सचिव

(31)

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

"प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्पलॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आई0टी0आई0 (पी0एम0सेतु)" योजनान्तर्गत पाँच जिलों यथा रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णियाँ एवं मधुबनी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से CIIT (Centre For Invention, Innovation, Incubation & Training) स्थापित करने में कुल रूपये 11,74,81,30,000/–(ग्यारह सौ चौहत्तर करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति दी गई है।

10/11

सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

(32)

प्रेस नोट

जन–निजी–भागीदारी (पी0पी0पी0) अंतर्गत डी0बी0एफ0ओ0टी0 (डिजाईन बिल्ड फाईनेन्स ऑपरेट एण्ड ट्रान्सफर) पद्धति पर रा0उ0पथ सं0–31 में बख्तियारपुर से रा0उ0पथ सं0–28 में ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4–लेन पुल एवं 4–लेन पहुँच पथ (पुल की लम्बाई 5.52 कि0मी0 एवं पथ की लम्बाई 45.40 कि0मी0) परियोजना हेतु कुल राशि रू0 4572.53 करोड़ (चार हजार पाँच सौ बहत्तर करोड़ तिरेपन लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।